

**दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20
मार्गदर्शी सिद्धान्त / सामान्य दिशा निर्देश**

1. पृष्ठभूमि और आधार :—

राज्य में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) में संचालित दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं माध्यम के अनुसार ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

शासनादेश संख्या : 433/XXIV(1)/2019-02/2018 शिक्षा अनुभाग—I (बेसिक) देहरादून दिनांक 16 अगस्त 2019 एवं शासनादेश संख्या : 1028/XXIV(1)/2019-02/2018 शिक्षा अनुभाग—I (बेसिक) देहरादून दिनांक 21 अक्टूबर 2019 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 30 मार्च 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रस्तावित है।

इस परीक्षा हेतु ओ०एम०आर० आवेदन पत्र प्रयुक्त किया जायेगा। आवेदन पत्र शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का नकद मुगतान करने पर उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मुख्य डाकघर एवं अन्य निर्धारित डाकघरों से दिनांक 07 जनवरी 2020 से दिनांक 03 फरवरी 2020 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र (ओ०एम०आर० शीट) विवरणिका के साथ संलग्न हैं। पूरित आवेदन पत्र (ओ०एम०आर० शीट) परिषद् कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 04 फरवरी 2020 सायं 5:00 बजे तक है। पूरित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से ही सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड-244715 को प्रेषित किये जायें। निर्धारित तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र आवेदन पत्र पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से इस प्रकार प्रेषित करें कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि / समय के अन्तर्गत परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो सकें।

ओ०एम०आर० आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट : एक पर अंकित हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका में दिये गये निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं आवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि हो।

अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, किन्तु सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात किसी भी दशा में कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अधूरे, अपूर्ण अथवा गलत भरे ये आवेदन पत्र अथवा विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी और इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

:: महत्वपूर्ण निर्देश ::

अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु अयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(The candidate should satisfy his/her eligibility for DEIEd Entrance Exam, before applying and shall be personally responsible in case he/she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria.)

2. दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता :—

(क) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार के अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धराजकीय संस्था में नियमित पद पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपकरणों में नियमित पद पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थाई निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री समूह "ग" के आवेदन हेतु पात्र होंगे।" के अनुसार अभ्यर्थी दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा केन्द्र :—

अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाये जायेंगे (प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों की सूची परिशिष्ट : दो पर)। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी। किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी।

(ग) उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली – 2019 में नियम – 9 (क) (एक) में विज्ञान वर्ग में 40 प्रतिशत भौतिक, गणित विषय से विज्ञान स्नातक एवं 40 प्रतिशत रसायन विज्ञान, जन्मु, वनस्पति विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक तथा 20 प्रतिशत ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों, जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार मानविकी वर्ग में 15 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा, 15 प्रतिशत हिन्दी भाषा एवं 70 प्रतिशत अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में निर्धारित किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व उक्तानुसार भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ) आयु सीमा :—

अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात् 01 जुलाई 2020 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 के पूर्व एवं 1 जुलाई 2001 के बाद की न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य द्वारा निर्धारित नियमानुसार देय होगी।

(ङ) आरक्षण :—

कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी की अंकना आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

नोट :-

डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी स०अ० प्राथमिक विद्यालय के पद हेतु आवेदन करने के लिये अहं होते हैं। स०अ० प्राथमिक विद्यालय के पद हेतु केवल दिव्यांगजन श्रेणी OL, BL, MW, OA, PB, B, D, PD चिन्हित है। अतः इस परीक्षा के लिये आवेदन हेतु यही दिव्यांगजन श्रेणियां अहं होंगी। अतः उक्त श्रेणी के दिव्यांगजन ही दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करें।

(च) उपलब्ध स्थानों (सीटों) की संख्या : –

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। किन्तु विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में आवंटित सीटों में विषयों का विभाजन उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित नियमावली 2019) के नियम 9 उप नियम (क) (एक) में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर विषयों के अन्तर्गत विषयवार किये गये विभाजन के अनुसार किया जायेगा।

वर्ग / उपवर्गवार उपलब्ध स्थानों (सीटों) का विवरण निम्नवत है –

क्र०सं०	वर्ग	कुल उपलब्ध स्थान (सीटें)	उपवर्ग	कुल उपलब्ध स्थान (सीटें)
1	विज्ञान वर्ग	325	भौतिक एवं गणित विषय से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत
			रसायन विज्ञान, जंतु एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत
			उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 20 प्रतिशत
2	विज्ञानेत्तर वर्ग	325	अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत
			न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत सहित हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत
			अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 70 प्रतिशत

(छ) डी०एल०एड० प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क विवरण :–

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण स्व वित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रु० 35000/- (पैंतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु० 850/- (आठ सौ पचास मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज). दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण / अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

3. चयन का आधार :–

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल उसकी स्नातक शैक्षिक योग्यता के आधार पर ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में चयनित उपवर्ग में उपलब्ध स्थानों पर किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपनी स्नातक योग्यता के अनुसार अनिवार्य रूप से उपवर्ग का चयन करें।

4. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :—

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरूचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है।

उत्तर पुस्तिका के रूप में ओ०एम०आर० शीट का प्रयोग किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था :—

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल द्वारा किया जायेगा। परीक्षा आयोजन से लेकर परिणाम घोषित करने तक के समस्त कार्य परिषद् द्वारा ही सम्पादित किये जायेंगे। परिषद् इस परीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :—

अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक—पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु विज्ञापित सीटों की संख्या के सापेक्ष चयन सूची के साथ ही 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों की विज्ञान/विज्ञानेतर वर्ग में उर्ध्व/क्षेत्रिज आरक्षण वार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी एवं जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपरिथत नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा। किन्तु प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित 50 सीटों की पूर्ति होने तक उक्त प्रतीक्षा सूची को विस्तारित किया जा सकेगा। योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन उनकी काउंसलिंग के आधार पर किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी, किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता है तो उसे अन्य किसी जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जायेगी। काउंसलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों से डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवाकर जिले आवंटित किये जायेंगे।

7. राज्य स्तर पर डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन :—

दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एक समिति निम्नलिखित प्रकार से गठित की जायेगी :—

- | | |
|--|---|
| 1. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण | : अध्यक्ष / परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी |
| 2. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० | : सदस्य सचिव |
| 3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी | : सदस्य |
| 4. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी-2 का अधिकारी (अनु०जा० / अनु०ज०जा० / अ०पि०व० से सम्बन्धित) | : सदस्य |

8. दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :—

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यों का सेमेस्टर मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।

प्रक्रिया सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आन्तरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

9. डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा शुल्क :—

दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :—
a. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु : 500.00 (पाँच सौ रुपये)।
b. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु : 250.00 (दो सौ पचास रुपये)।
c. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु : 125.00 (एक सौ पच्चीस रुपये)।

10. अन्य नियम :—

(क) डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा करना होगा।

(ख) दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

11. लिखित परीक्षा केन्द्र :—

- लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के 29 शहरों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट : दो में दिया गया है। परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यर्थी अपने इच्छित परीक्षा शहर का नाम / कोड का उल्लेख आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अवश्य करें। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। एक बार परीक्षा केन्द्र आवंटन हो जाने के पश्चात् उसमें किसी भी बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा के लिए वरीयता के अनुसार दो शहरों के विकल्प दिये जाने आवश्यक हैं। परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा शहर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसी परीक्षा शहर में 100 से कम आवेदक (परीक्षार्थी) होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा ऐसी स्थिति में आवेदक को परीक्षा केन्द्र, द्वितीय वरीयता वाले परीक्षा शहर अथवा यथासंभव निकटतम शहर में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा।
- दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

12. आवेदन पत्र से सम्बन्धित जानकारी :—

- अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी को इस विवरणिका में दिये गये निर्देशानुसार ही दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करना होगा।
- आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि / समय के बाद किसी भी दशा में कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा, और न ही अंतिम तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क स्वीकार किया जायेगा।
- दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

13. आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं शुल्क विवरण :—

- I. राज्य के निम्नलिखित जनपदों के निर्धारित डाकघरों से आवेदन पत्र निर्धारित धनराशि भुगतान करने पर प्राप्त किये जा

सकेंगे, जिसमें ओ०एम०आर० (OMR) आवेदन पत्र एवं विवरणिका सम्मिलित हैं। ओ०एम०आर० (OMR) आवेदन पत्र को विवरणिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरकर, आवेदन पत्र प्रदत्त निर्धारित लिफाफे में बन्द कर अंतिम तिथि तक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल, पिन कोड-244715 के कार्यालय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये गये आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा वे निरस्त समझे जायेंगे। उक्त आवेदन पत्र निम्नवत निर्धारित डाकघरों से दिनांक 07 जनवरी 2020 से दिनांक 03 फरवरी 2020 तक प्राप्त किए जा सकेंगे।

क्र०	जनपद	डाकघर का नाम
सं०	का नाम	जहां से आवेदन पत्र प्राप्त किये जो सकते हैं
1.	हरिद्वार	हरिद्वार (H.P.O), रुडकी।
2	देहरादून	देहरादून (G.P.O) विकासनगर, ऋषिकेश, चक्राता।
3	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, बड़कोट।
4	टिहरी	नई टिहरी (H.P.O), नरेन्द्रनगर।
5	पौड़ी	श्रीनगर गढ़वाल, कोटद्वार (H.P.O), पौड़ी (H.P.O), धुमाकोट, बैजरौ।
6	चमोली	गोपेश्वर (H.P.O), जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली।
7	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि।
8	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ (H.P.O), डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग, गंगोलीहाट।
9	चम्पावत	चम्पावत, टनकपुर, लोहाघाट।
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा (H.P.O), रानीखेत, भिकियासैण।
11	बागेश्वर	बागेश्वर, बैजनाथ (गरुड़)
12	नैनीताल	नैनीताल (H.P.O), हल्द्वानी (H.P.O), रामनगर, भीमताल।
13	ऊधमसिंहनगर	रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, जसपुर।

ii. दो वर्षीय डी०एल०एड० (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु शुल्क विवरण (आवेदन पत्र के मूल्य के रूप में देय) निम्नवत है—

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
1	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	500.00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	250.00
3	सभी वर्ग के निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए	125.00

14. लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :—

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि के संबंध में विवरणिका में दिया गया समय अनुमानित है परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से परिषद् की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन—पत्र में दिये

गये मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। परीक्षा में समिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र उ०वि०शि०प० की अधिकृत विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। परिषद द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिषद की अधिकृत विभागीय वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

15. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :—

- परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी को केवल परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड), बॉलपेन एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड में से कोई एक जो आवेदन पत्र में अंकित किया गया है) ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दशा में परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा समाप्ति से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य कैलकुलेटर, लॉगटेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल घड़ी या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (गैजेट), मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री, सादा कागज (पेपर), आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग में दर्ज किया जायेगा। परीक्षा में नकल करने अथवा नकल कराने में समिलित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

16. परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति :—

- परीक्षा में ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही / सबसे उपयुक्त उत्तर होगा।
- प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जाएंगे। प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा में मुद्रित होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, प्रश्न पुस्तिका सीरीज (सेट) आदि अंकित न करने की स्थिति में उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुपालन करें।
- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में अंकित सूचनाओं यथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज (सेट) आदि विकल्प पर किये गये गोले के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जायेगा। इस संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुसरण करें।
- प्रवीणता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर हों तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम

वर्णमाला (अंग्रेजी) क्रम वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।

17. दावा / आपत्ति निराकरण :—

- परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा उत्तर-कुंजी (Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा / आपत्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का दावा / आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा / आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा / आपत्ति प्रस्तुत करने अथवा बिना प्रमाण के दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे अमान्य किया जायेगा।
- प्राप्त दावा / आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जाता है। दावा / आपत्ति सही पाये जाने पर उत्तर-कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे परिषद् के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन किया जाता है।
- परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगा।

18. परीक्षाफल की घोषणा :—

परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त ओ०ए०आ०२० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त परिषद् द्वारा नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम (चयनित अभ्यर्थियों की सूची) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा आवेदकों को समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।

19. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :—

- ओ०ए०आ०२० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ओ०ए०आ०२० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- परिषद् परीक्षा में प्रयुक्त ओ०ए०आ०२० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की कार्बन प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करती है।

20. परीक्षा संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव एवं छंटाई :—

ओ०ए०आ०२० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित दो वर्षीय डी०ए०ए०३० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात इन्हें विनष्ट (वीड-आउट) कर दिया जायेगा।

21. अभ्यर्थियों के लिए अन्य आवश्यक निर्देश :—

- अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह दो वर्षीय डी०ए०ए०३० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वह आवेदन करें।
- आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। एक बार आवेदन पत्र भरने के पश्चात् कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी / क्षेत्रिज श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, विषय, अहंता कोड एवं अन्य अधिमानों की सही जानकारी आवेदन पत्र में यथोचित स्थान पर दें। आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी या गलत आरक्षण

- श्रेणी / क्षैतिज श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, विषय, आवेदित वर्ग, उपवर्ग आदि लिखने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और ऐसी स्थिति में उसका अभ्यर्थन / परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं।
- iv. विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं आरक्षण सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् अर्जित शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - v. डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा अपनी स्नातक योग्यता के अनुसार चयनित उपवर्ग के लिए ही किया जायेगा। केवल एक उपवर्ग का ही चयन करें किसी अन्य उपवर्ग में चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
 - vi. उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों के आधार पर सम्मिलित कराया जायेगा तथा उनका अभ्यर्थन नितान्त औपबंधिक है। काउन्सिलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी। ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - vii. अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० आवेदन पत्र संख्या / अनुक्रमांक अपने पास सुरक्षित रखें तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा संस्था से किये जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त पंजीकरण संख्या / अनुक्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
 - viii. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र स्वयं भरना होगा। आवेदक अपनी नवीनतम फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा करें एवं हस्ताक्षर, के नमूने सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के होने चाहिये।
 - ix. दो वर्षीय डी०एल०एड० (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

परिषद के साथ पत्र व्यवहार हेतु पता निम्नवत है –

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

(डी०एल०एड० परीक्षा अनुभाग) पो०आ० रामनगर नैनीताल

पिन-244715

किसी भी जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं –

फोन नं० – 05947 & 252276, 254275

फैक्स नं० – 05947-255021, 252276

E-mail - deled2015@gmail.com

secy-ubse-uk@nic.in

वेबसाइट - www.ubse.uk.gov.in

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर, नैनीताल

परिशिष्ट : एक
“प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2020
ओ०ए०आ० आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

ओ०ए०आ० आवेदन पत्र आवेदक (अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी) द्वारा स्वयं सही-सही भरा जाय। नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार भरी जाय। चूंकि मशीन से ओ०ए०आ० आवेदन पत्र की स्कैनिंग की जायेगी अतः ओ०ए०आ० आवेदन पत्र में निर्धारित खाने को बॉल-प्लाइंट पेन से पूरी तरह गहरा (काला) करना अनिवार्य होगा। किसी भी नाम के आगे Ku./Mr./Mrs/Shri/Smt./Dr. आदि अंकित न करें। आवेदन पत्र में दिये गये सभी खानों (बॉक्सों) में सभी प्रविष्टियों को पूरित किया जाना अनिवार्य है। सभी बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ अन्तर्राष्ट्रीय अंक पद्धति (1, 2, 3, 4.....) में अंकित की जानी हैं। कोई प्रविष्टि खाली नहीं छोड़ी जायेगी, समस्त प्रविष्टियों की अंकना अनिवार्यतः की जायेगी। आवेदक “प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 : सूचना विवरणिका का अध्ययन करने के बाद ही आवेदन पत्र सही प्रकार से भरें। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अधूरे अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

क्र०सं०	विवरण	ओ०ए०आ० आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश
1	अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम	अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (Capital Letters) में दिए गए खानों (बॉक्सों) में लिखें। एक खाने (बॉक्स) में एक ही अक्षर लिखें तथा उस खाने (बॉक्स) के नीचे दिये गये उसी अक्षर वाले गोले को काला करें।
2	पिता का नाम	अभ्यर्थी अपने पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (Capital Letters) में दिए गए खानों (बॉक्सों) में लिखें। एक खाने (बॉक्स) में एक ही अक्षर लिखें तथा उस खाने (बॉक्स) के नीचे दिये गये उसी अक्षर वाले गोले को काला करें।
3	लिंग	यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के सम्मुख बने गोले, यदि आप महिला हैं तो महिला के सम्मुख बने गोले अथवा अन्य के सम्मुख बने गोले को काला करें।
4	दिव्यांगता/ निःशक्तता (PH) की स्थिति	यदि आप शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त (दिव्यांग) हैं तो – हां के सम्मुख बने गोले को काला करें अन्यथा नहीं के सम्मुख बने गोले को काला करें।
5.	निःशक्तता (दिव्यांगता) का प्रकार	यदि आप निःशक्त (दिव्यांग) हैं तो अपनी दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार – दृष्टिहीनता/निम्न दृष्टि है तो – 1, बधिर और कम सुनाई देना है तो – 2, चलन दिव्यांगता / है तो – 3 अन्य (बहु0) की दशा में –4 नम्बर वाले गोले को काला करें।
6	जन्मतिथि	हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि की अंकना DD/MM/YYYY के फार्मेट में करें और संबंधित गोले को काला करें।
7	वर्ग	अभ्यर्थी अपनी श्रेणी को अंकित करने के लिए श्रेणी के सम्मुख बने गोले को काला करें। सामान्य श्रेणी (GEN) के लिए – 1, अनुसूचित जाति (SC) के लिए – 2, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए – 3,

		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए – 4 एवं आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग (EWS) के लिए – 5 नम्बर वाले गोले को काला करें।
8	क्षेत्रिज आरक्षण का वर्ग	यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो – 1, और यदि आप भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) हैं तो – 2 (ध्यान दें भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित किसी भी दशा में हॉ के समुख बने गोले को काला न करें)
9	गृह जनपद का नाम	अभ्यर्थी अपने गृह जनपद के समुख बने गोले को काला करें।
10	परीक्षा शहर कोड	परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यर्थी किन्हीं दो शहरों के नाम / कोड (परिशिष्ट :दो पर अंकित) वरीयतानुसार (प्रथम एवं द्वितीय) आवेदन पत्र में अंकित करें। शहर का नाम / कोड खाने (बॉक्स) में लिखें और खाने (बॉक्स) के नीचे दिए गये संबंधित गोलों को सही प्रकार से काला करें। एक बार वरीयता अंकित कर दिए जाने के बाद किसी भी दशा में परीक्षा शहर परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
11	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	अभ्यर्थी अपना पत्र व्यवहार का पता दिए गये खाने (बॉक्स) में साफ–साफ लिखें। केवल काले / नीले बॉल प्लाइट पेन का ही प्रयोग करें। पिन कोड (Pin Code) अवश्य और सही लिखें।
12	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी दिये गये खाने (बॉक्स) में अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (3.5 cm x 4.5 cm) यहां पर चिपकायें। फोटो को हस्ताक्षरित / सत्यापित न करें।
13	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी यहां दिये गये खाने (बॉक्स) में अपने हस्ताक्षर काले / नीले बॉल प्लाइट पेन द्वारा साफ–साफ करें। हस्ताक्षर निर्धारित खाने (बॉक्स) की सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए।
14	अभ्यर्थी के अंगूठे का निशान	अभ्यर्थी यहां दिये गये खाने (बॉक्स) में अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगायेंगे। निशान निर्धारित खाने (बॉक्स) की सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए।
15	प्रशिक्षण हेतु आवेदित वर्ग एवं उपवर्ग (आवेदित वर्ग के अंतर्गत केवल एक उपवर्ग का चयन करें केवल चिह्नित उपवर्ग में चयन हेतु विचार किया जायेगा)	अभ्यर्थी अपनी स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता के आधार पर – विज्ञान वर्ग लिए – 1, अथवा विज्ञानेत्तर वर्ग के लिए – 2 नम्बर वाले गोले को काला करें। वर्ग की अंकना सूचना विवरणिका का अध्ययन करने के बाद सही प्रकार करें, बाद में वर्ग परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, त्रुटिपूर्ण चयन के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। क. यदि : आवेदित वर्ग में अभ्यर्थी द्वारा अपनी स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता के आधार पर विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन किया है तो आवेदित उपवर्ग – भौतिक विज्ञान व गणित विषय से विज्ञान स्नातक हैं तो – 1, रसायन, वनस्पति व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक हैं तो – 2, विज्ञान वर्ग के उक्त विषयों (1. भौतिक विज्ञान व गणित अथवा 2. रसायन वनस्पति व जन्तु विज्ञान) के इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं तो – 3, नम्बर वाले गोले को काला करें। ख. : आवेदित वर्ग में अभ्यर्थी द्वारा अपनी स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता के आधार पर विज्ञानेत्तर वर्ग के लिए आवेदन किया है तो आवेदित उपवर्ग – अग्रेंजी मुख्य विषय के साथ स्नातक हैं तो – 4, न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय सहित, हिन्दी मुख्य विषय के साथ

		स्नातक है तो – 5, अन्य विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक हैं तो – 6 नम्बर वाले गोले को काला करें।
16	मोबाइल नं0	अभ्यर्थी अपना मोबाइल नम्बर यहां अवश्य अंकित करेंगे। मोबाइल नम्बर दिये गये बॉक्सों में लिखकर, प्रत्येक बॉक्स के नीचे दिये गये उसी अंक वाले गोले को भी काला करेंगे।
17	अभ्यर्थी की 01 जुलाई 2020 को आयु	अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि के अनुसार आयु की गणना कर वर्ष, माह एवं दिन अंकना (Year/Month/Days) के रूप में आयु की अंकना करेंगे और संबंधित गोलों को भी काला करेंगे।
18	फोटो पहचान पत्र का प्रकार	अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा तिथि को प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र AADHAR CARD - 1 DRIVING LICENCE - 2 VOTER ID - 3 PAN CARD - 4 OR PASS PORT - 5 में से किसी एक की अंकना करें।
19	प्रशिक्षण हेतु जनपदों की वरीयता	अपने गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए वरीयता क्रम में अन्य 12 जनपदों के नाम अंकित करें।
20	घोषणा	अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर दिनांक (आवेदन पत्र भरने का), स्थान एवं नाम की अंकना कर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

घोषणा :

मैं शपथपर्वक अभिकथन करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। मैंने ‘प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 : सूचना विवरणिका’ में अंकित अर्हताओं एवं दिशा-निर्देशों का भली-भौति अध्ययन कर लिया है। मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त अर्हतायें पूर्ण करता / करती हूँ। मुझे परीक्षा के संबंध में सूचना विवरणिका में अंकित समस्त शर्तें मान्य हैं। निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त मेरा आवेदन प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु विचारणीय होगा। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में जांच के उपरान्त कोई भी विवरण / तथ्य असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित सभी मूल प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। यदि कोई भी सूचना गलत पायी गयी तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परिशिष्ट : दो
दो वर्षीय डी०एल०एड० (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20
परीक्षा शहरों की सूची

DElEd Entrance Exam : List Of Exam City

लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 29 शहरों में किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के नाम एवं कोड निम्नवत् हैं—

परीक्षा केन्द्र हेतु वरीयता के अनुसार दो शहरों के विकल्प दिये जाने आवश्यक हैं। एक बार परीक्षा केन्द्र आवंटन हो जाने के पश्चात् उसमें किसी भी बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी परीक्षा शहर में 100 से कम आवेदक (परीक्षार्थी) होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को परीक्षा केन्द्र, द्वितीय वरीयता वाले परीक्षा शहर अथवा यथासंभव निकटतम शहर में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	परीक्षा शहर का नाम	परीक्षा शहर कोड
1	हरिद्वार (HARIDWAR)	हरिद्वार (HARIDWAR)	01
		रूडकी (ROORKEE)	02
2	देहरादून (DEHRADUN)	देहरादून (DEHRADUN)	03
		ऋषिकेश (RISHIKESH)	04
3	उत्तरकाशी (UTTARKASHI)	उत्तरकाशी (UTTARKASHI)	05
		बड़कोट (BARKOT)	06
4	ठिहरी गढ़वाल (TIHARI GWL)	नई ठिहरी (NEW TEHRI)	07
		नरेन्द्रनगर (N.NAGAR)	08
5	पौड़ी गढ़वाल (PAURI GWL.)	पौड़ी (PAURI)	09
		श्रीनगर (SHRINAGAR)	10
6	चमोली (CHAMOLI)	कोटद्वार (KOTDWAR)	11
		गोपेश्वर (GOPESHWAR)	12
7	रुद्रप्रयाग (RUDRAPRAYAG)	कर्णप्रयाग (KARNPRAYAG)	13
		रुद्रप्रयाग (RUDRAPRAYAG)	14
8	पिथौरागढ़ (PITHORAGARH)	अगस्त्यमुनि (AGASTYAMUNI)	15
		पिथौरागढ़ (PITHORAGARH)	16
		बेरीनाग (BERINAG)	17
9	चम्पावत (CHAMPAWAT)	डीड़ीहाट (DIDIHAT)	18
		चम्पावत (CHAMPAWAT)	19
10	अल्मोड़ा (ALMORA)	टनकपुर (TANAKPUR)	20
		अल्मोड़ा (ALMORA)	21
11	बागेश्वर (BAGESHWAR)	रानीखेत (RANIKHET)	22
		बागेश्वर (BAGESHWAR)	23
12	नैनीताल (NAINITAL)	गरुड़ (GARUR)	24
		नैनीताल (NAINITAL)	25
13	ऊ०सि० नगर (U.S.NAGAR)	हल्द्वानी (HALDWANI)	26
		रामनगर (RAMNAGAR)	27
		रुद्रपुर (RUDRAPUR)	28
		काशीपुर (KASHIPUR)	29

परिशिष्ट : तीन
दो वर्षीय डी०एल०एड० (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के
आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली वाली प्रक्रिया

1. परीक्षा के लिये सामान्य निर्देश :-

- परीक्षा कक्ष / हॉल परीक्षा आरंभ होने के 45 मिनट पूर्व खोल दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कक्ष / हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि वे परीक्षा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों को सुन सकें।
- परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- केन्द्र अधीक्षक अथवा सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष / हॉल से बाहर नहीं जायेगा।
- परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश-पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र को भविष्य में रिकार्ड के लिए सुरक्षित रखें। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश-पत्र बिना फोटो के है अथवा फोटो स्पष्ट नहीं है तो वह परीक्षा केन्द्र पर अपने दो नवीनतम फोटो एवं आधार कार्ड को प्रस्तुत करेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अपनी पहचान हेतु प्रवेश-पत्र के साथ एक पहचान पत्र (आई०डी०) जो कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया गया है (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड) लाना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल / कक्ष के भीतर प्रवेश-पत्र और काले बॉल प्वाइंट पेन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, सामान्य कैलकुलेटर, लॉगटेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर डिजिटल घड़ी या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (गैजेट), मुद्रित / लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।
- अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में बिल्कुल शांत रहेंगे। केवल अपने प्रश्नपत्र को ही ध्यान लगा कर हल करेंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के वार्तालाप, इशारे या व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, उसे अपराध की प्रकृति के अनुरूप स्थाई रूप से अथवा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा।
- परीक्षा में नकल करने अथवा नकल कराने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा विलप बोर्ड लेकर आयें जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिये ताकि परीक्षा कक्ष / हॉल में उन्हें उपलब्ध करायी गयी मेजों की सतह समतल न होनें की स्थिति में अपने उत्तर अंकित करने में कठिनाई न हो। उन्हें अपने साथ अच्छी गुणवत्ता के काले / नीले बॉल प्वाइंट पेन लाने चाहिये। इन्हें परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- परीक्षा कक्ष / हॉल में धूम्रपान करना, पान / गुटका चबाना, थूकना सख्त मना है। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में चाय,

कॉफी, शीतल पेय या किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है।

2. प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट-बुकलेट) तथा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक के प्रयोग के लिये निर्देश :—

- परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस मिनट पूर्व अभ्यर्थी को एक ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक प्रदान किया जायेगा। जिस पर अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक आदि की अंकना करेंगे। अंकना से पूर्व ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की भली-भाँति जॉच कर लें कि वह सही तरह से मुद्रित हो, कटा-फटा, विकृत अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रित न हो, यदि इस प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो तत्काल उसे कक्ष निरीक्षक को वापस कर दूसरा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक प्राप्त कर लें। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक सावधानी से भरें, अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक को विकृत कर देने की स्थिति में किसी भी दशा में दूसरा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षा प्रारंभ होने के दस मिनट पूर्व अभ्यर्थी को एक सीलबंद प्रश्न-पुस्तिका प्रदान की जायेगी। जिसमें अंकित प्रश्न पुस्तिका सेट यथा A/B/C/D अथवा W/X/Y/Z अथवा कोई अन्य, जो भी प्रश्न-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित होगा एवं क्रमांक की अंकना अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर की जायेगी। प्रश्न-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर भी अभ्यर्थी द्वारा अपने अनुक्रमांक आदि की अंकना बॉल प्वाइंट पेन से करनी होगी।
- अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका (टेस्ट-बुकलेट) की सील तभी खोलेंगे, जब कक्ष निरीक्षक द्वारा पुस्तिका की सील खोलने और प्रश्न पत्र हल करने को निर्देशित किया जायेगा। सील खोलने के तत्काल बाद अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका की भली-भाँति जॉच कर लें कि उसमें सभी पृष्ठ मुद्रित हों, कोई पेज कटा-फटा, कम, विकृत अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रित न हो, यदि इस प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो तत्काल उसे कक्ष निरीक्षक को वापस कर उसी सेट / सीरीज (यथा स्थिति A/B/C/D अथवा W/X/Y/Z अथवा अन्य में से जो भी पूर्व में परीक्षार्थी को दी गयी थी) की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लेंगे।
- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में सभी प्रविष्टियाँ काले / नीले बाल-प्वाइंट पेन से की जायेंगी। पेंसिल का किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है तो उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को उपस्थिति / सत्यापन-पत्रक में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाना होगा। हस्ताक्षर उसी प्रकार के होने चाहिये जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में किये गये हैं।
- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्रयोग किया जाने वाला ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक विशेष प्रकार का होता है जिसे “आप्टिकल स्कैनर” पर स्कैन किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में गलत सूचनाओं यथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज (सेट) आदि विकल्प के गोले काले न करने की स्थिति में उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।
- अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में अंकित सूचनाओं यथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज (सेट) आदि विकल्प पर किये गये गोले के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें एवं गोलों को पूर्ण सावधानी से भरें।

3. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिये महत्वपूर्ण निर्देश :—

- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर अभ्यर्थी उत्तर अंकित करने के लिये प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये चार विकल्पों

में से सही उत्तर के लिये केवल एक वृत्ताकृति (गोले) को बाल-प्वाइंट पेन से पूरी तरह गहरा (काला) करना होगा। **ओ०एम०आर०** उत्तर पत्रक भरने का

सही तरीका

A. B. C. D.

गलत तरीका

C. B. E. D.

- उदाहरण के लिये प्रश्न पुस्तिका में आया प्रश्न संख्या 50 इस प्रकार है—

50. नेपाल की राजधानी है—

- A. दुबई B. कोलम्बो C. काठमांडू D. ढाका

इस प्रश्न का सही उत्तर C काठमांडू है अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या 50 ढूँढ़ना होगा तथा प्रश्न संख्या 50 के सम्मुख C लिखे गोले को गहरा (काला) करना होगा। सही उत्तर अंकित करने का तरीका निम्नवत है—

50.

A. B. C. D.

- उक्त अंकित तरीके से भिन्न तरीके से दिया गया उत्तर त्रुटिपूर्ण माना जायेगा और उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- एक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक ही उत्तर (एक ही वृत्त) को गहरा (काला) करें।
- एक बार अंकित उत्तर को बदला नहीं जा सकेगा। अभ्यर्थी उपयुक्त विकल्प (उत्तर) को गहरा (काला) करने से पूर्व उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट कर लें, क्योंकि एक बार अंकित कर लिये गये उत्तर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसे त्रुटिपूर्ण मानते हुये सम्बन्धित प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- हल्का अथवा धुंधली तरह से गहरा (काला) किया गया वृत्त मार्किंग की गलत पद्धति माना जायेगा तथा ऑप्टिकल स्केनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे प्रश्न के सम्मुख दिये गये वृत्तों में से किसी को भी गहरा (काला) नहीं करना चाहिये।
- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक को मोड़ें नहीं और उस पर कोई अवांछनीय निशान भी न लगायें।
- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति जो कार्बनलैस है, ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक के साथ संलग्न है। परीक्षार्थी प्रश्नपत्र हल करने के उपरान्त ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक से द्वितीय प्रति को निर्धारित स्थान से पृथक कर मूल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे तथा द्वितीय प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। द्वितीय प्रति निकालते समय ध्यान रहे कि मूल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक क्षतिग्रस्त न हो।
- मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी के ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक की अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट के साथ उत्तर-पत्रक को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।
- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में किसी भी प्रकार का रफ कार्य न करें। समस्त रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान पर ही करें।
- अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका साथ में ले जाने की अनुमति है।